पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2020 का सिविल/दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2688

==========

धर्मवीर कुमार,पुत्र- सत्येंद्र चौधरी, निवासी- मुगल कौन बाउलीपार, पोस्ट ऑफिस एवं थाना - सोहसराय, जिला-नालंदा, बिहार-803101

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, प्रबंध निदेशक, पहली मंजिल, जवाहर लाल मार्ग, पटना-800001 के माध्यम से
2. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, पहली मंजिल, जवाहर लाल मार्ग, पटना-800001
3. उत्तरी बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, प्रबंध निदेशक के माध्यम से, पहली मंजिल, जवाहर लाल मार्ग, पटना-800001
4. प्रबंध निदेशक, उत्तरी बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, पहली मंजिल, जवाहर लाल मार्ग, पटना-800001
5. उप महाप्रबंधक, मानव संसाधन/प्रशासन, उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड, पहली मंजिल, जवाहर लाल मार्ग, पटना-800001
6. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रभाग, दरभंगा (शहरी)

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

सेवा कानून - **बिहार सरकारी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005** - नियम 17(4) - याचिकाकर्ता की नियुक्ति कनीय अभियंता के रूप में पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में हुयी थी जिसपर दो वेतन वृद्धि रोकने का दंड अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा लगाया गया जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने बरक़रार रखा - इन्ही आदेशों को रद्द करने के लिए रिट याचिका लाया गया - यह अनुशासनात्मक प्राधिकरण नियम 17(3) और 17(4) सी. सी. ए. नियम 2005 में दायित्व है कि वह दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप गठित करें, तथा आरोप पत्र का एक प्रति कर्मचारी दें तथा कर्मचारी को अपना लिखित कथन दाखिल करने के लिए कहे - जिसके बाद यह निर्णय लें कि आगे जांच बढ़ना है या जांच की समाप्ति करनी है - अंतिम निर्णय अनुशासनात्मक प्राधिकरण को लेना है - लेकिन इस मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने ऐसा नहीं किया - इसलिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण तथा अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को रद्द किया जाता है - याचिकाकर्ता को सारी पारिणामिक रहतें प्रदान की जाती है - [पारा 5 और 8]

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2020 का सिविल/दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2688

==========

धर्मवीर कुमार,पुत्र- सत्येंद्र चौधरी, निवासी- मुगल कौन बाउलीपार, पोस्ट ऑफिस एवं थाना - सोहसराय, जिला-नालंदा, बिहार-803101

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, प्रबंध निदेशक, पहली मंजिल, जवाहर लाल मार्ग, पटना-800001 के माध्यम से
2. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, पहली मंजिल, जवाहर लाल मार्ग, पटना-800001
3. उत्तरी बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, प्रबंध निदेशक के माध्यम से, पहली मंजिल, जवाहर लाल मार्ग, पटना-800001
4. प्रबंध निदेशक, उत्तरी बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, पहली मंजिल, जवाहर लाल मार्ग, पटना-800001
5. उप महाप्रबंधक, मानव संसाधन/प्रशासन, उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड, पहली मंजिल, जवाहर लाल मार्ग, पटना-800001
6. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रभाग, दरभंगा (शहरी)

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के लिए: श्री कुमार कौशिक, अधिवक्ता

श्री नम्रता दुबे, अधिवक्ता

उत्तरदाता/उत्तरदातागण के लिए: श्री विनय कीर्ति सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री अखिलेश्वर सिंह, अधिवक्ता

श्री वेंकटेश कीर्ति, अधिवक्ता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान

मौखिक निर्णय

तिथि: 09-02-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री कुमार कौशिक और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय कीर्ति सिंह को श्री अखिलेश्वर सिंह, श्री वेंकटेश कीर्ति, अधिवक्ताओं द्वारा सहायता प्रदान की गई।

2. वर्तमान रिट याचिका उत्तरवादी संख्या 5, अर्थात् उप महाप्रबंधक, मानव संसाधन/प्रशासन, बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, के हस्ताक्षर के तहत जारी दिनांकित 11.01.2018 आदेश को रद्द करने और दरकिनार करने के लिए दायर की गई है। जिसके तहत अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने संचयी प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धि को रोकने का दंड लगाया है। अपीलीय प्राधिकारी, अर्थात अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा पारित दिनांक 29.12.2018 के आदेश को रद्द करने और निर्धारित करने के लिए आगे की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दिनांकित दंड के उपरोक्त आदेश के खिलाफ दायर अपील को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को परिसर चयन के माध्यम से चयन प्रक्रिया द्वारा पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में वर्ष 2011 में कनिष्ठ अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें पंडासराई, बिजली आपूर्ति प्रभाग, दरभंगा में 20.09.2011 से 03.12.2017 तक तैनात किया गया था और उसके बाद, उन्हें तारिया में बिजली आपूर्ति प्रभाग, छापरा (पूर्व) में 04.12.2017 से 13.12.2019 तक स्थानांतरित और तैनात किया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता को मोतिहारी डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि समय के साथ, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में परिवर्तित हो गया है और कंपनी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ ज्ञापन संख्या 948 दिनांक 09.10.2017 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। आगे प्रस्तुत करता है कि उक्त ज्ञापन जो कि संकल्प संख्या 947 दिनांक 09.10.2017 द्वारा जारी जवाबी हलफनामे का अनुलग्नक-सी है, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि दोषी को कार्यवाही करने के लिए जांच अधिकारी को अपने बचाव में एक लिखित बयान प्रस्तुत करना होगा।

4. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि डी. जी. एम., मानव संसाधन/प्रशासन, उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड, जो सक्षम प्राधिकारी है, ने बिहार सरकारी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 (इसके बाद 'सी. सी. ए. नियम, 2005' के रूप में संदर्भित) के नियम 17 (4) के घोर उल्लंघन में निर्णय लिया है। वकील प्रस्तुत करते है कि उक्त नियम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह अनुशासनात्मक प्राधिकारी का यह अनिवार्य दायित्व है कि आरोपों के लिखित बयान को देखने के बाद वह तय करेगा कि विभागीय कार्यवाही को बंद करना है या जारी रखना है। यहां इस मामले में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दोषी को जांच अधिकारी के समक्ष लिखित बयान दायर करने का निर्देश दिया है, जो कानून का अधिदेश नहीं है।

5. अपने दावे के समर्थन में, विद्ान वकील ने **शंकर दयाल बनाम बिहार राज्य और अन्य** के मामले में दिए गए दिनांक 29.06.2017 के फैसले पर भरोसा किया, जिसे **2016 के सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 7207** में पारित **2018 (2) पी.एल.जे.आर. 308** में रिपोर्ट किया गया, जिसके प्रासंगिक कंडिका 9,10 और 11 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैं:-

"9. "नियमों" का नियम 17 (3) अनुशासनात्मक प्राधिकारी पर किसी दोषी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आरोप लगाने या दोषी अधिकारी के खिलाफ आरोप तैयार करने का दायित्व डालता है। इसके उप-नियम (4) में अनुशासनात्मक प्राधिकारी के माध्यम से या विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से इस तरह से तैयार किए गए शुल्क ज्ञापन के वितरण को अनिवार्य किया गया है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी पर डाला गया दायित्व यहीं नहीं रुकता है, बल्कि उसने अभी तक खुद को संतुष्ट नहीं किया है कि क्या प्रस्तावित आरोप पर किसी अपराधी द्वारा इस तरह से दिए गए स्पष्टीकरण के लिए पूछताछ अधिकारी द्वारा जांच की आवश्यकता है या इसे बंद करने की आवश्यकता है। नियम 17 (4) के तहत विशेष रूप से अनुशासनात्मक प्राधिकारी में निहित इस शक्ति को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है।

10. वर्तमान मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकारी पर लगाए गए इस अनिवार्य दायित्व का उल्लंघन किया गया है, जैसा कि जांच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को उसके समक्ष लगाए गए आरोपों पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए जारी किए गए दिनांकित 1.2.2008 (अनुलग्नक-2) पत्र से पुष्टि की गई है। यह एक घोर वैधानिक उल्लंघन है और इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने 1996 (2) पी. एल. जे. आर. 95 (रवींद्र नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम) में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में टिप्पणी की है, जब खंड पीठ ने फैसले के पैराग्राफ 6 में निम्नलिखित राय व्यक्त की है:

"6. ... . पूछताछ अधिकारी आरोपों के जवाब पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है। यह अनुशासनात्मक प्राधिकरण का काम है कि वह आरोपों के जवाब पर विचार करे और जवाब में दिखाए गए कारणों पर विचार करके यह तय करे कि आरोपों की धरेलू जॉच करके कार्यवाही को बंद किया जाए या जारी रखा जाए।

11. मेरी राय में जाँच अपनी शुरुआत में ही दूषित है क्योंकि जाँच अधिकारी के पास अपराधी से आरोपों पर जवाब मांगने का कोई अधिकार नहीं है। नियम फिर से उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं करते हैं। अवैधता यहीं नहीं रुकी और आगे भी जारी है। "

5.1 विद्‌ान वकील ने **धमेंन्द्र कुमार बनाम बिहार राजय और अन्य** मामले में **2018 के सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 4710** में 27.06.2018 को पारित एक फैसले पर भरोसा किया। प्रसंगिक कंडिका 7 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैँ।

"7. मैंने पक्षों के विद्‌वान वकील को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है। बिहार सरकारी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 (इसके बाद 'नियम 2005' के रूप में संदर्भित) के नियम 17 और 18 में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्‌वारा पालन की जाने वाली एक अनिवार्य प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्‌वारा आरोप ज्ञापन की सेवा के चरण से शुरू होती है, जो अपराधी को जवाब देने में सक्षम बनाती है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को खुद को संतुष्ट करने के लिए समान दायित्व देती है कि क्या आरोपों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के संतुष्ट होने के बाद ही और नियम 17 (4) के साथ पठित नियम 17 (3) के तहत अनिवार्य अभ्यास के पूरा होने पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी या तो मामले में स्वयं हस्तक्षेप करें या

नियम 17 (6) के तहत एक पूछताछ अधिकारी को इसकी जांच करने के लिए नियुक्त करें और उसके बाद ही पूछताछ अधिकारी कार्यवाही को संभालता है। नियम 2005 के नियम 17 (6) के तहत, अनुशासनात्मक प्राधिकारी का एक और दायित्व है कि वह विभाग के मामले का नेतृत्व करने के लिए एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करे, जिसे वर्तमान मामले में मंजूरी दे दी गई है। अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि चुनौती के तहत कार्यवाही को इस प्रक्रिया के तहत आयोजित किया गया है क्योंकि न तो याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आरोप पर सुना गया है जो पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 04.06.2016 (रिट याचिका के लिए अनुलग्नक-पी-5) द्वारा तैयार किए गए आरोप ज्ञापन की प्रति से स्पष्ट है। इसके अलावा, नियम 17 (6) के तहत अनिवार्य रूप से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की अनुपस्थिति अवैधता को कायम रखती है, जो एक गंभीर कमी है और पूरी कार्यवाही को अवैध बना दिया है। उक्त कानूनी स्थिति लंबे समय तक एकीकृत नहीं है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा 2016 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 7207 (शंकर दयाल बनाम बिहार राज्य और अन्य) में पारित एक निर्णय में इसका निपटारा प्रासंगिक भाग जिसे नीचे दोहराया गया हैः प्रासंगिक भाग जिसका पुनरुत्पादन नीचे किया गया हैः

""नियमों" का नियम 17 (3) अनुशासनात्मक प्राधिकारी पर एक दोषी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आरोप लगाने या के खिलाफ इसे तैयार करने का दायित्व डालता है। इसके उप-नियम (4) में अनुशासनात्मक प्राधिकारी के माध्यम से या विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से इस तरह से तैयार किए गए शुल्क ज्ञापन के वितरण को अनिवार्य किया गया है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी पर डाला गया दायित्व यहीं नहीं रुकता है, बल्कि उसने अभी तक खुद को संतुष्ट नहीं किया है कि क्या प्रस्तावित आरोप पर किसी अपराधी द्वारा इस तरह से दिए गए स्पष्टीकरण के लिए पूछताछ अधिकारी द्वारा जांच की आवश्यकता है या इसे बंद करने की आवश्यकता

है। नियम 17 (4) के तहत विशेष रूप से अनुशासनात्मक प्राधिकारी में निहित इस शक्ति को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकारी पर लगाए गए इस अनिवार्य दायित्व की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जैसा कि जांच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को उसके सामने लगाए गए आरोपों पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए जारी किए गए दिनांकित 1.2.2008 (अनुलग्नक 2) पत्र से पुष्टि की गई है। यह एक घोर वैधानिक उल्लंघन है और इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने 1996 (2) पी. एल. जे. आर. 95 (रवींद्र नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम) में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में टिप्पणी की है, जब खंड पीठ ने फैसले के पैराग्राफ 6 में निम्नलिखित राय व्यक्त की हैः

"6. ... ... पूछताछ अधिकारी आरोपों के जवाब पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है। यह अनुशासनात्मक प्राधिकारी का काम है कि वह आरोपों के जवाब पर विचार करे और जवाब में दिखाए गए कारणों पर विचार करके यह तय करे कि क्या आरोपों की घरेलू जांच करके कार्यवाही को बंद या जारी जाए। "

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निर्णायक रूप से प्रस्तुत किया कि विभागीय कार्यवाही शुरू करने का उक्त निर्णय स्वयं कानूनी रूप से गलत है और इसलिए, इस तरह के दोषपूर्ण निर्णय के आधार पर कोई भी आगे की कार्रवाई कानून की नजर में कायम नहीं रखी जाएगी और इसलिए, मूल आदेश के साथ-साथ अपीलीय आदेश को भी दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।

7. बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विनय कीर्ति सिंह प्रस्तुत करते हैं कि यह रिट याचिका (पूरक जवाबी हलफनामे के लिए अनुलग्नक-सी) के अनुलग्नक पी-1 के पढ़ने मात्र से स्पष्ट होता है कि प्राधिकारी द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष लिखित बयान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था जो सी. सी. ए. नियम, 2005

के नियम 17 (4) के अनुरूप नहीं है, लेकिन यह कानून का एक अनिवार्य प्रावधान है जो इसलिए बाध्यकारी नहीं है।

8. पक्षों द्वारा दिए गए बयान के आलोक में और दस्तावेजों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह पता चलता है कि उक्त अनुलग्नक-रिट याचिका के लिए पी8 और रिट याचिका के लिए अनुलग्नक पी1 (पूरक जवाबी हलफनामे के लिए अनुलग्नक-सी) जिसके द्वारा अपराधी को आयोजित संचालित करने के लिए जांच अधिकारी को अपने बचाव में एक लिखित बयान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सी. सी. ए. नियम, 2005 के नियम 17 (4) का घोर उल्लंघन करते हुए कार्यवाही की गई है जो कानून का एक अनिवार्य प्रावधान है।

रिट याचिका के अनुलग्नक पी-1 का प्रासंगिक भाग (पूरक जवाबी हलफनामे के लिए अनुलग्नक-सी) इस प्रकार हैः

"जहां एन.बी.पी.डी.सी.एल. के पास यह मानने के कारण हैं कि श्री धर्मवीर कुमार, जे.ई.ई., ई.एस.एस., पंडासराई, दरभंगा (शहरी) को अनुलग्नक में निहित आरोप पत्र में निर्दिष्ट घोर कदाचार का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है, कंपनी ने निर्णय लिया है कि श्री धर्मवीर कुमार, जे.ई.ई., ई.एस.एस., पंडासराई, दरभंगा (शहरी) के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाए।

2. श्री धर्मवीर कुमार जे. ई. ई. प्रस्ताव जारी होने के एक पखवाड़े के भीतर श्री जितेंद्र प्रसाद डी. जी. एम. (एच. आर./ए), एन. बी. पी. डी. सी. एल., पटना, जिन्हें कार्यवाही के संचालन के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, के समक्ष अपने बचाव में एक लिखित बयान प्रस्तुत करना आवश्यक है। श्री धर्मवीर कुमार जांच अधिकारी को यह भी सूचित करेंगे कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से

सुनाना चाहते हैं और यदि कोई गवाह है, तो उससे अपनी ओर से पूछताछ करना चाहते हैं।

3. श्री विजय कुमार सिन्हा, प्रशाखा अधिकारी, अनुभाग एन-9, एन. बी. पी. डी. सी. एल., पटना पूछताछ अधिकारी के समक्ष कंपनी का प्रतिनिधित्व करेंगे। "

इसलिए, इन कारणों के आलोक में दोषी के खिलाफ की गई पूरी कारवाई जिसके बाद जांच रिपोर्ट, प्रतिवादी संख्या 5, अर्थात् उप महाप्रबंधक, मानव संसाधन/प्रशासन, उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड के हस्ताक्षर के तहत जारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी के बाद के आदेश दिनांक- 11.01.2018 और अपीलीय प्राधिकारी, यानी अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बिजली होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा पारित आदेश दिनांक- 29.12.2018 को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार, उन्हें दरकिनार किया जाता है। याचिकाकर्ता सभी पारिणामिक राहतों का हकदार होगा।

9. नतीजतन, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने आरोप ज्ञापन की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और न ही आरोप ज्ञापन को रद्द किया है और यह निर्णय पूरी तरह से अनुशासनात्मक प्राधिकारी को यह तय करने के लिए है कि वह कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ेगा या नहीं।

(डॉ. अंशुमन,न्यायमूर्ति)

अश्विनी

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।